BEFORE THE BOARD OF REVENUE PRINCIPAL SEAT AT GAWALIOR

Revision Petition No.....2015

PETITIONER

Ishwar Das Loriya (panika) S/o Lalita Prasad Panika aged about 97 years R/O of village Amerkantak Tehsil Pushprajgarh District Anuppur M.P.

V E R S U S

RESPONDENTS

1. State of M.P. through Additional commissioner Shahdol Office of Commissioner Shahdol M.P.

2. Sub division Officer Tehsil Pushprajgarh, Pushprajgarh District Anuppur M.P.

3. Tehsildar Pushprajgarh, Tehsil Pushprajgarh, District Anuppur M.P.

4. Land Record Office through

Superintendent Land Record
District Anuppur M.P.

Revision petition u/s 50 of Land Revenue Code 1959

This revision petition arising out of the order dated 25.06.2015 passed by commissioner Shahdol. Annexured as annexure P/7

FACTS OF THE CASE:-

1. That the petitioner is very old person aged about 97 years.
2. That the maternal-uncle of the petitioner in the year 1970 vide a registered gift deed dated 22.05.1970. Gifted some land to the petitioner. That vide this gift deed the land bearing following khasera/Plot No. were donated to petitioner

   Khasera No. 241/4 Area 1.93 Acres
   Khasera No.249/ Area .50 Acres
   Khasera No. 262/ Area .12 Acres
   Khasera No. 286 Area .10 Acres
   Total = Area 2.55 Acres

   That this land is situated in the village Amarkantaka, Tehsil Pushparajgarh previously in District Shahdol, now in District Anuppur. A copy of this gift deed is annexured here with this petition as Annexure P/1
3. That originally this land was owned by the estate of Vindhya-Pradesh(Rewa region) in the year 1952 vide the order of tehsildar of Vindhya-Pradesh a patta of the

OF OATHS FOR

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(५)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3492-तीन/15 **जिला** - अनूपपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/08/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक अधिवक्त आए दिन पेशी पर उपस्थित नहीं होते हैं। तथा उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि राजस्व मण्डल इस प्रकरण में गुण-दोष पर आदेश पारित करे। अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में पेशी दिनांक 05.04.2019 को यह प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण तत्कालीन सदस्य द्वारा अदम पैरवी में खारिज भी किया गया था, परंतु बाद में पेशी दिनांक 09.05.2019 को पुन: सुनवाई हेतु नियत किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार पुष्पराजगढ़ द्वारा खसरा पंचशाला वर्ष 2006-07 से 2009-10 व पटवारी प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए पाया कि उक्त भूमियां 041/4 रकवा 1.83 एकड़ जंगल, म0प्र0 शासन नजूल मद में अंकित हैं। उक्त आधार पर तहसीलदार पुष्पराजगढ़ द्वारा आवेदक का आवेदन खारिज किया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि चूंकि उक्त् भूमियां जगल, म0प्र0 शासन नजूल मद में अंकित हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक का नामांतरण नहीं किया जा सकता। दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार पुष्पराजगढ़ द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसकी पुष्टि करने में	

नि/3492/III/15 अपील

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	